आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाही टिप्पणी सहित

आदेश

अंचल अधिकारी,धनबार की अनुशंशा के अग्रसारित किए गए इस जमाबंदी रद्ध वाद/अभिलेख में निहित भूमि की विवरणी निम्न है:–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा
डूमरडीहा	61	19	112	2.37 ए0

डपर्युक्त विवरणी की भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास है तथा वर्त्तमान में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कई गांवों के ताजिया मिलन,ईदगाह,रेनटॉड़ तथा हिन्दू–मुसलमान के अन्य धार्मिक समारोह स्थल के रूप में प्रतिवेदित है। इस न्यायालय में सुनवाई के क्रम में वादगत भूमि के संबंध में पंजी ।। के जमाबंदी पृष्ठ संख्या 18 के दर्ज रैयत मो0 युनुस,मो0 कासीम,मो0 मुस्तफा वो मो0 मुख्तार सभी पेशरान मो0 हबीब मियां सा0 डूमरडीहा थानाः धनबार की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि वादगत खेसरा सं0 112 के अन्तर्गत रकबा 1.17 एकड़ के साथ–साथ खेसरा नं0 33 के रकबा 0.08 एकड़ भूमि की हुकुमनामा बंदोबस्ती भूतपूर्व जमींदार टिकैत बीरेन्द्र नारायण सिंह के द्वारा हबीब मियां के नाम से वर्ष 4.4.1935 में बंदोबस्ती दी गई। बंदोबस्ती तिथि से हबीब मिया भूमि के दखलकार हुए तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात कायम सरकारी पंजी ।। के जमाबंदी पृष्ठ संख्या 118 में उनका नाम दर्ज हुआ तथा रैयत के द्वारा सरकारी लगान की भुगतान कर सरकारी रसीद प्राप्त किया गया। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया है कि इस जमाबंदी के सम्पूर्ण रकबा 1.25 एकड़ भूमि हबीब मियां ने निबंधित बिक्री विलेख सं0 1449 दिनांक 7.3.86 के द्वारा मो0 युनुस एवं अन्य (यथा उपर्युक्त उल्लेखित) बिक्री किया जिसका दाखिल–खारीज वाद संख्या 505/87–88 के द्वारा नामांतरण स्वीकृत किए जाने के उपरांत पंजी ।। के जमाबंदी पृष्ठ संख्या 18 में मो0 युनुस वगैरह के नाम से जमाबंदी कायम कर सरकारी लगान रसीद निर्गत की जा रही है। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार इसी जमाबंदी के अन्तर्गत डुमरडीहा तथा सतगावां अंजुमन कमिटी के सदर तथा सचिव के द्वारा अनुरोध किए जाने पर रकबा 0.30 एकड़ भूमि निबंधित बख्शीशनामा मुहर्रम अखाड़ा तथा ताजिया–मिलन हेतु मो0 अली वो मो0 हबीब मियां (सदर तथा सचिव अंजुमन कमिटी) के नाम से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,गिरिडीह के न्यायालय वाद सं0 86/87–88 में दिनांक 24.8.88 में पारित आदेश के आलोक में किया है। विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि वादगत खाता अन्तर्गत ही खेसरा नं0 33 के बंदोबस्त रकबा 0.08 के मधे 0.02 एकड़ पर पूर्व में अंचल अधिकारी,धनबार के न्यायालय में अतिक्रमण वाद सं0 2/82–83 में दिनांक 14.6.82 के द्वारा पाारित

अनुसार प्रतिवादी के पक्ष में समाप्त किया गया है। इसलिए अंचल अधिकारी,धनबार के द्वारा जमाबंदी को खारीज किए जाने संबंधि अनुशंशा निरस्त किए जाने योग्य है।

वादगत भूखंड के ही अवशेष रकबा 1.20 एकड़ क संबंध में विज्ञ अधिवक्ता का अभिमत है कि इन्कंबर्ड ईस्टेट हजारीबाग के मैनेजर के द्वारा इसकी बंदोबस्ती हुकुमनामा के द्वारा वर्ष 11.7.1951 में ईश्वरी नारायण सिंह के नाम से की गई। ईश्वरी नारायण सिंह ने निबंधित बिक्री विलेख दिनांक 14.12.1973 तथा 2.7.1974 के द्वारा भूखंड के अंश भाग की बिक्री हबीब मियां को किया और इस प्रकार केतागण वादगत भूखंड के समस्त खतियानी रकबा पर दखलकार होकर नियमित लगान का भुगतान करते हुए सरकारी रसीद की प्राप्ति करते आ रहे हैं। विज्ञ अधिवक्ता ने जे0एल0जे0आर0 2006 (पृ0 सं0 11) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश (जे0एल0जे0आर0 2003 पृ0 सं0 95 में रिर्पोटेड) की छाया प्रति दाखिल करते हुए यह भी अनुरोध किया है कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में भी लंबे अंतराल से कायम चले आ रहे जमाबंदी को रद्ध नहीं किया जा सकता।

निम्न न्यायालय (अंचल अधिकारी धनबार) के न्यायालय में वादगत भूखंड की नाजाएज बंदोबस्ती तथा उसके आधार पर अनाधिकृत दखल–कब्जा के प्रयास के विरूद्ध आम ग्रामीण जनता के द्वारा दिए गए परिवाद पत्र के आधार पर जांचोपरान्त आरम्भ किए गए इस वाद अभिलेख की सुनवाई के क्रम में इस न्यायालय में भी सुनवाई की एक निर्धारित तिथि 7.6.07 में आम ग्रामीण जनता मो0 अब्दूल जलील एवं अन्य 22 सभी साकिनान डुमरडीहा थानाः धनबार के द्वारा इंटरभेनर्स के रूप में अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से यह तर्क दिया गया कि वादगत सम्पूर्ण रकबा 2.37 एकड़ भूखंड जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से ही मौजा डुमरडीहा के साथ–साथ उसके समीपवर्ती अन्य ग्रामों के सार्वजनिक प्रयोजनार्थः ईदगाह,ताजिया मिलन,रेन टॉड आदि के रूप में प्रयुक्त होते चला आ रहा है और भूखंड के किसी भी अंश पर प्रतिवादी पक्ष मो0 युनुस वगैरह का कोई दखल प्राप्त नहीं है। वर्ष 1988 के पूर्व कभी भी मो0 युनुस या उनके पूर्वजों के द्वारा वादगत भूखंड से संबंधित कोई दावा कभी नहीं रखा गया। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार मो0 युनुस वगैरह तथा उनके पिता हबीब मियां के द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त किए जमींदारी बंदोबस्ती हुकुमनामा तथा उसके आधार पर अंचल–अमला की मिलीभगत से पंजी ।। में कायम कराए गए अनाधिकृत जमाबंदी के आधार पर प्रतिवादी पक्ष सरकारी तथा जनहित के भूमि को कब्जा कर उसके नाजाएज बिक्री का प्रयास कर रहे हैं जिसका विरोध आम समूह के द्वारा किया जा रहा है। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार प्रतिवादी पक्ष के इसी प्रयास के विरूद्ध वर्ष 1988 में 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी,गिरिडीह के न्यायालय में वाद संख्या

12/11/08

[illegible]/[illegible] को कार्यवाही की गई थी। इस वाद की सुनवाई के क्रम न्यायालय के समक्ष तीन पंचायतों के मुखिया के माध्यम से दिए गए आवेदन की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि की प्रति अवलोकनार्थ दाखिल करते हुए विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि 11 से भी अधिक ग्रामों के सैकड़ो ग्रामीणों के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन देकर भूमि पर मो0 युनुस वगैरह के द्वारा बलपूर्वक किए जा रहे दखल के प्रयास के विरूद्ध निषेधात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।

प्रतिवादी पक्ष के नाम से पंजी ।। में कायम जमाबंदियों के संबंध में विज्ञ अधिवक्ता(इंटरभेनर पक्ष) का तर्क है कि पंजी के जमाबंदी पृष्ठ सं0 118 में हबीब मियां के नाम से जमाबंदी कायम किए जाने हेतु न तो किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश का उल्लेख प्राप्त है और न ही इस पृष्ठ में जमींदारी उन्मूलन वर्ष 1954–55 से निर्गत किए गए किसी सरकारी लगान रसीद का उल्लेख इसमें प्राप्त है। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार इस पंजी पृष्ठ में प्रथम लगान रसीद वर्ष 1985 तथा अंतिम वर्ष 1987 का इन्द्राज ही प्राप्त है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जमाबंदी वर्ष 1985 में अनाधिकृत रूप से कायम कराई गई है। विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार जमाबंदी कायम कराने के बाद प्रतिवादी पक्ष हबीब मियां ने सम्पूर्ण रकबा 1.25 एकड़ भूमि निबंधित बिक्री विलेख सं0 1449 दिनांक 7.3.86 के द्वारा अपने पुत्रों मो0 युनुस एवं अन्य 3 के साथ बिक्री मात्र जरसम्मन की राशि मो0 2000/–रूपये में की है जो भूमि के वास्तविक मूल्य की नगण्य राशि है। इस निबंधित बिक्री विलेख के दाखिल–खारीज में भी क्रेतागणों के द्वारा अंचल–अमला की मिलीभगत से गोपनीयता बरती गई तथा आम ग्रामीणें को आपत्ति आमंत्रण से बंचित रखा गया। दाखिल–खारीज वादं सं0 585/87–88 के नामांतरण स्वीकृति के बाद पुनश्च एक सोची–समझी षड़यंत्रकारी नीति के अन्तर्गत ही प्रतिवादी पक्ष मो0 युनुस वगैरह ने वादगत भूखंड के रकबा 0.30 एकड़ निबंधित बख्शीशनामा मो0 अली वो मो0 हबीब (सदर तथा सचिव अंजुमन कमिटी) को ताजिया मिलन एवं अखाड़ा हेतु कर दिया गया। इस बख्शीशनामा के पूर्व भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,गिरिडीह के न्यायालय वाद संख्या 86/87–88 में दिनांक 24.8.88 में प्राप्त किए गए बिक्री अनुमति आदेश के संबंध में विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि दानपत्र किए जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल बिहार सरकार के नाम से ली गई जबकि ठीक विपरीत उसे अपने पिता हबीब मियां वो एक अन्य रिश्तेदार मो0 अली को एक तथाकथित अंजुमन कमिटी का सदर एवं सचिव घोषित कर उनके नाम से दानपत्र कर दिया गया। ईश्वरी नारायण सिंह के नाम से बंदोबस्त किए गए एवं उनसे निबंधित केवाला के द्वारा प्राप्त किए गए वादगत भूखंड के अवशेष रकबा 1.20 एकड़ भूखंड के संबंध में विज्ञ अधिवक्ता का अभिमत है कि यदि प्रतिपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के लिखित अभिकथन में उल्लेखित हुकुमनामा बंदोबस्ती वर्ष 1951 को ही स्वीकार किया जाए तो यह

[redacted] के लिए निर्धारित समय–सीमा 1.1.1946 के बाद [redacted] है और इस आधार पर यह बिहार भूमि सुधार अधिनियम [redacted] की धारा 4 (एच) के अन्तर्गत जमाबंदी खारीज किए जाने का [redacted] स्पष्ट मामला बनता है।

वाद की सुनवाई के क्रम में राज्य की ओर से उपस्थित [redacted] सरकारी अधिवक्ता,गिरिडीह का भी अभिमत है कि जनहित तथा सरकारी हित में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना पंजी ।। में कायम जमाबंदियों को रद्ध किया जाना विधिसम्मत होगा।

सभी पक्षकारों के द्वारा दिए गए उपर्युक्त तर्क सार के पश्चात निम्न न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.12.06 में की गई अनुशंशा तथा पंजी ।। में कायम जमाबंदी पृष्ठों का भी मूल रूप में अवलोकन किया गया तथा इंटरभेनर पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिए गए उपर्युक्त उल्लेखित तथ्य–सार को संपुष्ठ पाया गया है।

अंचल अधिकारी,धनबार के द्वारा दिनाक 28.12.06 में पारित आदेश अनुशंशा में मात्र जमाबंदी पृष्ठ संख्या 18 (4) को खारीज किए जाने की अनुशंशा की गई है। परन्तु समस्त खतियानी रकबा 2.37 की वर्त्तमान भौतिक अवस्थिति (सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त एवं उपयुक्त) तथा उसके विरूद्ध प्रतिवादी पक्ष के संदेहास्पद साक्ष्य दस्तावेज के आलोक में इस जमाबंदी के साथ–साथ ईश्वरी नारायण सिंह के द्वारा बिक्री किए गए वादगत रकबा की हबीब मियां के नाम से कायम जमाबंदियों को भी बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (एच) के अन्तर्गत खारीज किए जाने हेतु यह एक स्पष्ट मामला प्रतीत होता है।

अतः जनहित तथा सरकारी हित में वादगत भूखंड के विरूद्ध मो0 युनुस वगैरह के साथ–साथ उनके पिता हबीब मियां के नाम से कायम अनाधिकृत जमाबंदियों को रद्ध किए जाने की अनुशंशा की जाती है। अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी,गिरिडीह के माध्यम से अपर समाहर्त्ता,गिरिडीह को भेजें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।